

## प्रेस विज्ञप्ति

### वेण्डिंग जोन के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिनांक 10.12.2019 को वेण्डिंग जोन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गयी। पूर्व बैठक में महोदया द्वारा दिये गये निर्देश एवं अन्य वेण्डिंग जोन हेतु स्थल चिन्हित कर ड्रा की प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही पूर्ण न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिया गया कि जिस वर्क सर्किल में ड्रा हेतु स्थल चिन्हित कर लिये गये हैं उनके साईट सलेक्शन का कार्य दिनांक 13.12.2019 तक पूर्ण करा लिया जाये तथा दिनांक 17.12.2019 तक ड्रा की कार्यवाही करायी जाये।

पूर्व में वेण्डिंग जोन के अन्तर्गत वर्क सर्किल-1,3,4,5,6,7,8 एवं 9 के क्षेत्रान्तर्गत कुल 2472 आवेदकों के पक्ष में ड्रा की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त उनको आवंटन पत्र निर्गत किया गया है कुछ आवंटन पत्र मौके पर वेण्डर के उपस्थित न होने के कारण तामिल नहीं हो पाये हैं उन्हें तत्काल वैरीफाई कराकर आवंटन पत्र तामिल कराये जाने के निर्देश दिये गये। महोदया को यह भी अवगत कराया गया कि अभी तक 1208 वेण्डर्स के द्वारा ही धनराशि जमा करायी गयी है। महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन वेण्डर्स के द्वारा धनराशि जमा करा दी जाये उनको स्थल का डिमार्केशन कराते हुये सोमवार दिनांक 16.12.2019 तक आवंटित स्थल हैंडओवर करा दिया जाये।

महोदया द्वारा वेण्डिंग जोन आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त हो रही शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। अधिकतर वेण्डर्स की शिकायत यह पायी गयी है कि वह जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं उनको उसी स्थल पर स्थान आवंटित किया जाये। इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि जहां पर वेण्डर्स हेतु जगह उपलब्ध हो वहां पर स्थान आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जाये एवं उस स्थल पर आवंटन नहीं किया जा सकता है तो वेण्डर को अवगत करा दिया जाये तथा यदि वेण्डर आवंटित स्थल पर नहीं जाते हैं तो उनका आवंटन निरस्त कर उनको सूचना प्रेषित कर दी जाये। किसी भी शिकायत को अनिस्तारित न रखा जाये। अपात्र वेण्डर के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच करा कर गलत पाये जाने पर तत्काल निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।